कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक/एफ--10/बजट/163/1467 भोपाल, दिनांक 23-6-08

प्रति,

समस्त वन संरक्षक(क्षेत्रीय)
समस्त वन मण्डलाधिकारी(क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषय:- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्तुत प्रस्तावों में क्षतिपूर्ति वनीकरण (Compensatory Afforestation) के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1. भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक /5-1/2007/एफ.सी/ दिनांक 28.12.07

2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक /एफ-1/02/10-11/211 दिनांक 25.1.08

भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र (1) से प्राप्त दिशा निर्देश की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु सबसे पहले उपयुक्त गैर वन भूमि ली जावे। यदि गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में प्रथमतः छोटे बड़े झाड़ के जंगल नोइयत की राजस्व की भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्राप्त की जाये तथा यह भूमि इस शर्त पर मान्य की जावेगी कि यह भूमि प्रत्यावर्तित वनभूमि के एवज में दुगने बिगड़े वनक्षेत्र के रूप में ली गयी है। इसे आरक्षित वन के रूप में शीघ्रता से अधिसूचित कराया जावे। इस संबंध में भूमि प्राप्त करने के सन्दर्भ में लैंड बैंक हेतु जो निर्देश जारी किये गए हैं, उन्ही मापदण्ड के आधार पर यह भूमि रोपण हेतु प्राप्त करें।

वन संरक्षण सम्मलेन के दौरान भी आपको इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म०प्र० भोपाल

क्रमांक/एफ--10/बजट/163/1468 भोपाल, दिनांक 23-6-08

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव(वन) म०प्र० मंत्रालय भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म०प्र० भोपाल।
3. प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ मर्यादित म०प्र० भोपाल।
4. प्रबंध संचालक राज्य वन विकास निगम म०प्र० भोपाल।
5. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक म०प्र० भोपाल।

को ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म०प्र० भोपाल